राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 622/2010/अजमेर

मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड,ब्यावर, अजमेर। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त,
अजमेर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज,अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07.10.2016

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह तीन अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग,अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जो : अपील संख्या 25/05–06/सी.एस.टी./ब्यावर ब्यावर के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशष वृत, अजमेर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 540/– को अपास्त करते हुए आरोपित ब्याज रू.3,678/– अपास्त किया गया है एव अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के अन्तर्गत चाहा गया लाभ रू. 88,15,191/– अस्वीकार किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलोच्य वर्ष 2001–02 में सीमेन्ट की अन्तर्राज्जीय बिक्री पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)एफडी/टैक्स–डिवी./97–266 दिनांक 21.1.2000 के अन्तर्गत बिना सी फार्म के समर्थन से की गयी अन्तर्राज्जीय बिक्री पर रियायती दर 6 प्रतिशत का लाभ लिया है, साथ ही सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(72)एफडी/ग्रुप–IV/81–18 दिनांक 06.05.1986 के तहत आंशिक छूट का लाभ भी चाहा है। कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 की शर्त संख्या 3 के अनुसार राज्य

सरकर की अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का आंशिक छूट कर लाभ रू. 88,15,191/–अस्वीकार किया है। इसके अतिरिकत त्रैमासिक विवरण पत्र देरी से पेश करने के कारण अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रू. 540/– आरोपित की है तथा नियमित कर विलम्ब से जमा कराने के कारण ब्याज रू. 3,678/–कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2004 से आरोपित किया गया है। उक्त आरोपित शास्ति व ब्याज तथा अस्वीकार किये गये आंशिक कर छूट से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए आरोपित ब्याज को यथावत रखते हुए एवं अधिसूचना दिनांक 06.05.86 के अन्तर्गत चाहा गया लाभ अस्वीकार किया गया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2010 से असन्तुष्ट होकर आंशिक छूट रू. 88,15,191/–स्वीकार (allwed)कर जिस दिनांक को उक्त राशि जमा करायी गयी है उसी दिनांक से मय ब्याज उसी दिनांक से रिफण्ड जारी करने का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अधिसूचना दिनांक 21.1.2000 की शर्त संख्या 3 के अनुसार व्यवहारी के इस अधिसूचना के तहत रियायती कर दर 6 प्रतिशत पर बिक्री करने की स्थिति में ही इस पर अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के अन्तर्गत कर की आंशिक छूट का लाभ प्रतिबंधित किया गया है, परन्तु इसका यह आशय नहीं है कि व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.1.2000 के तहत कर की रियायती दर लेने पर अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत 'सी'/'डी' फॉर्म के समर्थन से की गई अन्तर्राज्जीय बिक्री पर देय लाभ को भी प्रतिबन्धित किया गया हो। विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.4.2001 में अधिसूचना दिनांक 21.1.2000 एवं अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के अन्तर्गत पृथक–पृथक देय लाभ की गलत व्याख्या की गई है तथा इससे अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत व्यवहारी को प्राप्त लाभ को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के प्रावधानों के अनुसार देय लाभ से प्रतिबंधित करने सम्बन्धी पारित आदेशों को अपीलीय अधिकारी द्वारा बहाल रखे जाने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा व्यवहारी की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 21.1.2000 की शर्त संख्या 3 के अनुसार सीमेंट की अन्तर्राज्जीय बिक्री बिना 'सी' फॉर्म के रियायती कर दर से करने का लाभार्थी होने की

स्थिति में इसी अवधि में अधिसूचना दिनांक 6.5.86 के तहत कर की आंशिक छूट का लाभ लेने का पात्र नहीं रहता है। इसी आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम की गई आंशिक कर की छूट के लाभ को अस्वीकृत किया जाना विधिनुसार एवं उचित होने से उक्त आदेशों की पुष्टि करने सम्बन्धी अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिसम्मत है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। . हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सीमेंट का निर्माण कर इसका अन्तर्राज्जीय विक्रय किया गया है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)एफडी/टैक्स डिवी./99–266 दिनांक 21.1.2000 के तहत बिना 'सी' फॉर्म के समर्थन से की गई अन्तर्राज्जीय बिक्री पर रियायती कर दर 6 प्रतिशत से कर चुकाया गया है। इसके साथ ही व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(72)एफडी/ग्रुप VI/81–18 दिनांक 06.05.86 के तहत कर की आंशिक छूट का लाभ भी क्लेम किया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 21.1.2000 एवं अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)एफडी/टैक्स डिवी./99–266 दिनांक 21.1.2000

In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Govt. being satisfied that it is necessary in the public interest so to do/to do so, hereby directs that the tax payable under sub-section (1) and (2) of the said section, by any dealer having his place of business in the State, in respect of sale of cement made by him from any such place of business in the State, in the course of inter-State trade or commerce, shall be calculated at the rate of 6% on the following conditions, namely:-

1. That the dealer shall record the correct name with full and complete address of the purchaser in the bill or cash memorandum for such inter-State sale to be issued by him;

2. That the burden of proof that the transaction was in the nature of inter-State sale shall be on the dealer; and

3. That the dealer making inter-State sales under this notfn shall not be eligible to claim benefits provided by notfn No. F.4(72)FD/Gr.IV/81-18 dated 6.5.1986 as amended from time to time [S.No.625].

अधिसूचना क्रमांक एफ.4(72)एफडी/ग्रुप–IV/81–18 दिनांक 6.5.86

In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Govt. in supersession of the FD notfn No. F.4(72)FDGr/IV/81-36 dated 3.12.1985 [S.No.584], hereby directs that, with immediate effect, any dealer, having his place of business and manufacturing goods in the State of Rajasthan, may claim *partial exemption* from the tax payable in respect of the him of such goods in the course of inter-State trade or commerce by way of reduction at the rate of 50% of the tax so payable [on increased sales upto 50% and at the rate of 75% of the tax so payable on increased sales made over and above the aforesaid 50%], in the manner and subject to the conditions as follow:-

(1) Such reduction of tax shall be allowed to a dealer only after and in respect of the increase which is effected in the percentage of the quantum of goods sold in the course of inter-State trade or commerce out of the total quantum of goods sold within the State and in the course of inter-State trade or commerce and dispatched to Head Office, Branch Office, Depot or agent outside the State for sale outside the State, during any accounting year as against such percentage during the accounting year 1984-85;

(2) In the case of a dealer who commenced the manufacture of goods in the State of Rajasthan [on or after 1.1.1985], the average of the aforesaid percentages in respect of the other manufacturers in the State in the relevant industry during the accounting year 1984-85, calculated and determined by the assessing authority with the approval of the Commissioner, shall be deemed to be the percentage in respect of such dealer for the accounting year 1984-85;

(3) This increase effected in the percentage, as referred to in clause (1) above in respect of the sales in the course of inter-State trade or commerce, to be considered shall be limited to the extent of the decrease in the percentage in respect of the dispatch of goods to Head Office,Branch Office, Depot or agent outside the State for sale outside the State, during the relevant accounting year as against such percentage during the accounting year 1984-85; and

(4) No claim for such reduction of tax shall be allowed in respect of levy-cement.

उक्त अधिसूचना दिनांक 21.1.2000 के क्लॉज–3 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे व्यवहारी जो उक्त अधिसूचना दिनांक 21.1.2000 के तहत अन्तर्राज्जीय विक्रय पर देय रियायती कर दर का लाभ प्राप्त करते हैं, वे अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत देय कर की आंशिक छूट के लाभ के पात्र नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान जयपुर द्वारा भी परिपत्र संख्या एफ. 16(बजट)टैक्स/सीसीटी/94–95/199 दिनांक 16.4.2001 (करनीति परिपत्र संख्या 2001/1) जारी कर स्पष्ट किया गया है कि व्यवहारी किसी एक वित्तीय वर्ष में

उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं यथा दिनांक 21.1.2000 व 06.05.86 में से किसी एक अधिसूचना का ही लाभ ले सकेगा।

. अतः अपीलार्थी व्यवहारी के अधिसूचना दिनांक 21.1.2000 के तहत बिना 'सी' फॉर्म किये गये अन्तर्राज्जीय विक्रय पर रियायती कर दर का लाभ प्राप्त किये जाने के कारण वह अधिसूचना दिनांक 21.1.2000 की शर्त संख्या 3 सपठित आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान के परिपत्र दिनांक 16.4.2001 के अनुसार अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत की गई सीमेंट की वृद्धि अन्तर्राज्जीय बिक्री पर देय कर की आंशिक छूट का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं रहता है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मैसर्स लक्ष्मी सीमेन्ट, सिरोही के प्रकरण में एस.बी. सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 613/2005, लक्ष्मी सीमेंट (वर्तमान में जे.के.लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड) बनाम सी.टी.ओ. पाली में पारित किये गये निर्णय दिनांक 17.4.2009 के पैरा संख्या 26 व 28 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :–

"One cannot lose sight of the fact that both the Notifications dated 6/5/86 and 21/1/2000 provide for exemption or concession to the assessee, a manufacturer of cement, While the Notification dated 6/5/86 does not specify any dealer or type of manufacturer, the later Notification dated 21/1/2000 applies to manufacturers of cement. As noted above, for other commodities manufacturers, other similar notifications were also issued by the State Government. Therefore, the State Government cautiously wanted not to apply or allow the benefit of Notification dated 6/5/86 to those manufacturers or specified dealers for which subsequent notifications like the one in hand dated 21/1/2000 was issued, if they make sales and avail benefit of concessional rate of tax under these notifications issued under Section 8(5) of the CST Act. Therefore, dissecting this condition and still allowing the benefit or partial exemption under the Notification dated 6/5/86 would be doing violence to the condition no. 3 which was never intended by the State Government. It is for the assessee to opt either for availing benefit of concessional rate of tax under the Notification dated 21/1/2000 or not to do so altogether. Once, he does so and opts for the same, the applicability of the notification dated 6/5/86 is excluded altogether and not in piece meal. Therefore, it cannot be contended by the assessee that in respect of other inter-State sales, still partial exemption may be allowed in terms of Notification dated 6/5/86, applicability of which stands excluded. Doctrine of exclusion and eclipse would apply in such cases rather than doctrine of liberal construction.

..... Partial exemption granted is also relating to taxable event in the form of taxable inter-state sales only and the rebate or remission or partial exemption granted under the Notification dated 6/5/86 cannot and does not

travel beyond the scope of Section 8(5) of the CST Act and, therefore, the question is only whether the subsequent Notification dated 21/1/2000 deprives the benefit of partial exemption under the Notification condition no. 3 of the later Notification dated 21/1/2000."

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि में अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत कर की आंशिक छूट का दावा अस्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसलिए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष